

नैगम कार्यालय/Corporate Office
सिंडिकेट बैंक भवन / SyndicateBank Building
दूसरा क्रॉस, गांधीनगर / 2nd Cross Gandhinagar
बेंगलूरु / BENGALURU - 560 009



निवेशक संपर्क केंद्र / Investor Relations Centre

Ref. No.174/2914/CO/BNG

दिनांक/Date: 01.06.2017

The Vice President – (Listing) BSE LIMITED Phiroze Jeejeebhoy Towers Dalal Street MUMBAI - 400 001	The Vice President (Listing) NATIONAL STOCK EXCHANGE OF INDIA LIMITED Exchange Plaza Bandra Kurla Complex Bandra (E) MUMBAI - 400 051
---	---

Dear Sir,

Sub: Addendum to the Notice of Annual General Meeting dated 25.05.2017

This is further to our communication vide letter ref no.141/2914/CO/BNG dated 25.05.2017 wherein it was informed that the Annual General Meeting of the shareholders of the Bank has been convened on 23.06.2017 to discuss, approve and adopt the Balance Sheet of the Bank as at 31.03.2017 and the Profit & Loss Account for the year ended on that date.

Subsequently, an additional agenda has been included for obtaining the approval of the shareholders for the capital issue of the Bank for an aggregate amount not exceeding ₹ 3500.00 Crore (Rupees Three Thousand Five Hundred Crore only) by way of Qualified Institutional Placements/Rights Issue/Follow On Public Issue/Preferential issue to GOI/LIC and other Financial Institutions or any other mode as approved by GOI/RBI.

Accordingly, an Addendum dated 01.06.2017 to the notice of the AGM dated 25.05.2017 is attached herewith for the information to the shareholders of the Bank. The Addendum dated 01.06.2017 is also being published in a Regional Language newspaper and an English Daily newspaper having all India circulation as well as on the website of the Bank.

This is for your information and dissemination please.

Thanking you,

Yours faithfully,

(T S KRIPADEVI)
COMPANY SECRETARY

23 जून 2017 को
सिंडिकेटबैंक स्वर्ण जयंती सभा भवन, मणिपाल – 576 104
में संपन्न होनेवाली बैंक के शेयरधारकों की
वार्षिक आम बैठक की सूचना का परिशिष्ट

ADDENDUM TO THE
NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
OF THE BANK SCHEDULED TO BE HELD ON 23RD JUNE 2017,
AT SYNDICATEBANK GOLDEN JUBILEE AUDITORIUM
MANIPAL – 576 104



प्रधान कार्यालय: मणिपाल – 576 104

Head Office : Manipal – 576 104

पंजीयक एवं शेयर अंतरण एजेंट:
मेसर्स. कार्वी कम्प्यूटरशेयर (प्रा.) लिमिटेड
यूनिट : सिंडिकेटबैंक
कार्वी सेलेनियम टावर बी
प्लॉट सं. 31 से 32, गचीबौली
फाइनेन्शियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा, हैदराबाद 500 032
दूरभाष: 040 67162222 या 040 67161516 (सीधा)
फैक्स सं.: 040 23001153
टोल फ्री सं. 1800-345-4001

Registrars & Share Transfer Agents:

M/s Karvy Computershare (P) Ltd.
Unit: Syndicate Bank
Karvy Selenium Tower B,
Plot No. 31 - 32, Gachibowli,
Financial District, Nanakramguda,
Hyderabad 500 032
Phone No. 040 67162222 or
040 67161516 (D)
Fax No. 040 23001153
Toll Free No. 1800-345-4001

कंपनी सचिव
निवेशक संपर्क केंद्र
सिंडिकेट बैंक – कारपोरेट कार्यालय,
2 क्रॉस, गांधीनगर
बेंगलूरु – 560 009 (कर्नाटक)
दूरभाष: 080 - 22283030, फैक्स - 080 - 22283030
ई-मेल: inrc@syndicatebank.co.in (सामान्य)
निवेशक शिकायत: syndinvest@syndicatebank.co.in

The Company Secretary
Investor Relations Centre
SyndicateBank - Corporate Office
2nd Cross, Gandhinagar
Bengaluru - 560 009 (Karnataka)
Tel 080 - 22283030, Fax - 080 - 22283030
E-mail: inrc@syndicatebank.co.in (General)
Investor Grievances: syndinvest@syndicatebank.co.in



प्रधान कार्यालय: मणिपाल - 576 104

परिशिष्ट सूचना

ADDENDUM NOTICE

सिंडिकेटबैंक (शेयर और बैठक) विनियमावली, 1998 के विनियम 56 के अनुसार सिंडिकेटबैंक के शेयरधारकों की 18वीं वार्षिक आम बैठक शुक्रवार दि. 23.06.2017 को प्रातः 10.00 बजे से सिंडिकेटबैंक स्वर्ण जयंती सभा भवन, मणिपाल - 576 104 (कर्नाटक राज्य) में संपन्न किए जाने संबंधी दिनांक 25.05.2017 को निर्गत सूचना के अलावा, निदेशक मंडल ने बैठक में निम्नलिखित अतिरिक्त कार्य संपन्न करने का निर्णय लिया है।

2. विचार करने के लिए तथा यदि सही पाया जाए तो, संशोधन या बगैर संशोधन निम्नलिखित संकल्प को विशेष संकल्प के तौर पर पारित करने के लिए:

“**संकल्प किया गया कि**, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970 (अधिनियम) के प्रावधानों के अनुसार तथा बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 (बैंकिंग अधिनियम), सिंडिकेटबैंक (शेयर एवं बैठक) विनियमावली, 1998 (बैंक विनियम), विदेशी विनियम प्रबंधन अधिनियम, 1999 (“फेमा”) को लागू प्रावधान, भारतीय सुरक्षा एवं विनियम बोर्ड (पूँजी निर्गम एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2009 (“आईसीडीआर विनियम”), विदेशी विनियम प्रबंधन (भारत से बाहर निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूतियों का अंतरण या जारी), विनियमावली 2000, भारत सरकार, जिसे लागू नियमों, विनियमों, मार्गदर्शी सिद्धांतों, परिपत्रों, स्पष्टीकरणों के द्वारा समय-समय पर भारत सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी) द्वारा समय-समय पर संशोधित और/या किसी अन्य सक्षम प्राधिकरण द्वारा बशर्ते विधि, नियम और विनियम के अध्यधीन (इसमें किए गए संशोधन या वर्तमान समय में पुनः लागू अधिनियमन), बैंक द्वारा उन स्टॉक विनियमों में सूचीयन करार जहाँ बैंक के ईक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं, सेबी (सूचीकरण के दायित्वों एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियमन, 2015, सेबी और/या केंद्रीय सरकार के अनुमोदन, सहमति, अनुमति या संस्वीकृति जो लागू हों और अपेक्षित, भारत और भारत से बाहर अन्य संबद्ध प्राधिकरणों से अनुमोदित, सहमति, अनुमति या संस्वीकृति प्रदान करने समय उनके द्वारा शर्तों, निबंधनों और आशोधनों का उनमें से किसी के द्वारा ऐसे अनुमोदनों, सहमति, अनुमति या संस्वीकृति के लिए लगाया जाना और उससे बैंक के निदेशक मंडल द्वारा सहमत होना (इसके बाद इसे “बोर्ड” कहा जाएगा, इस शब्द में बोर्ड द्वारा गठित कोई भी समिति शामिल है)

Further to the Notice dated 25.05.2017 issued under Regulation 56 of the SyndicateBank (Shares & Meetings) Regulations, 1998 convening the 18th ANNUAL GENERAL MEETING of the SHAREHOLDERS of SYNDICATEBANK on Friday, 23rd June, 2017 at 10.00 A.M. at SyndicateBank Golden Jubilee Auditorium, Manipal - 576 104 (Karnataka State), the Board of Directors have decided to include the following additional item for transaction at the Meeting.

AGENDA 2: To consider and if thought fit, pass with or without modification the following Resolution(s) as Special Resolution:

“**RESOLVED THAT** pursuant to Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (“the Act”), Banking Regulations Act, 1949 (Banking Act), SyndicateBank (Shares and Meetings) Regulations, 1998 (Bank’s Regulations), the applicable provisions of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (“FEMA”), the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009 (“ICDR Regulations”), the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Securities by a Person Resident Outside India) Regulations, 2000, as amended from time to time and in accordance with applicable rules, regulations, guidelines, circulars and clarifications issued by Government of India (“GOI”), Reserve Bank of India (“RBI”), Securities and Exchange Board of India (“SEBI”) and/or any other competent authorities and subject to any other applicable laws, rules and regulations (including any amendment thereto or re-enactment thereof for the time being in force), the Listing Agreements entered into by the Bank with stock exchanges where the equity shares of the Bank are listed, SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015, any approval, consent, permission or sanction of SEBI and/or Central Government as applicable and required, approvals, consents, permissions or sanctions of other concerned authorities, within or outside India, and such terms, conditions and modifications as may be prescribed by any of them while granting

बैंक की सहमति है और एतद्वारा बोर्ड को दी जाती है कि वह आई सी डी आर विनियमावली के अध्याय VIII के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार वह अर्हताप्राप्त संस्थागत स्थानन के माध्यम से बैंक के ईक्विटी शेयरों का सृजन, ऑफर, निर्गम, आबंटन आई सी डी आर विनियमावली के अध्याय VIII में वर्णित किए गए अनुसार संख्या में अर्हता प्राप्त संस्थागत क्रेताओं को करे, भले ही, वे बैंक के शेयरधारक हों या न हों/मौजूदा शेयरधारकों के लिए आई सी डी आर विनियमावली के अध्याय IV के अंतर्गत अधिकार निर्गम/अनुगामी सार्वजनिक निर्गम या भारत सरकार/भा.रि.बैं. द्वारा अनुमोदित कोई भी अन्य माध्यम, जैसा कि बोर्ड द्वारा निर्णय लिया जाए, बोर्ड ने लागू विधि एवं विनियमों के अनुसार अपने विवेकाधिकार से ₹3500 करोड़ (तीन हजार पाँच सौ करोड़ रुपये मात्र) से अनधिक कुल रकम अनुमत की है, जो ऐसे समय या समयों पर, ऐसे मूल्य या मूल्यों पर प्रीमियम सहित और ऐसे ढंग से और ऐसी शर्तों एवं निबंधनों पर जिसे बोर्ड अपने स्व-विवेकाधिकार से निर्धारित करे जिसमें यह विवेकाधिकार भी शामिल है, निवेशकों की उन श्रेणियों का निर्धारण जिन्हें ऑफर, निर्गम एवं आबंटन किया जाए, ऑफर के समय बाजार की स्थितियों और अन्य संबद्ध तत्वों को ध्यान में रखते हुए ऑफर, निर्गम एवं आबंटन के समय अन्य श्रेणियों के निवेशकों का बहिष्करण और जहाँ कहीं आवश्यक हो वहाँ अग्रणी प्रबंधक(कों) एवं/या हामीदार(रों) एवं/या अन्य सलाहकार(रों) से परामर्श करके बोर्ड अपने अनन्य विवेकाधिकार से उचित या उपयुक्त निर्णय ले सकेगा।”

“आगे संकल्प किया गया कि जारी किए गए ईक्विटी शेयर, बैंक के मौजूदा ईक्विटी शेयर के बराबर के होंगे जिनमें लाभांश शामिल हैं”

“आगे संकल्प किया गया कि, अर्हताप्राप्त संस्थागत स्थानन के मामले में, आई.सी.डी.आर. विनियमावली के खण्ड VIII के अनुसरण में:

- ए) आई.सी.डी.आर. विनियमावली के खण्ड VIII के तहत प्रतिभूतियों का आबंटन केवल अर्हताप्राप्त संस्थागत क्रेताओं को ही किया जाएगा और ऐसी प्रतिभूतियाँ पूर्ण-प्रदत्त होनी चाहिए तथा ऐसी प्रतिभूतियों का आबंटन संकल्प की तिथि से 12 महीनों के अंदर हो जाना चाहिए।
- बी) आई.सी.डी.आर. विनियमावली के विनियमन 85 (1) के प्रावधानों के अनुसरण में बैंक को यह प्राधिकार प्राप्त है कि वह न्यूनतम कीमत से अधिकतम पाँच प्रतिशत की छूट पर शेयर ऑफर कर सकता है जैसा कि विनियमावली में निर्धारित किया गया है।
- सी) प्रतिभूतियों की न्यूनतम कीमत के निर्धारण के लिए संबंधित तिथि आई.सी.डी.आर. विनियमावली के अनुसार माना जाएगा।

such approvals, consent, permissions or sanctions and which may be agreed to by the Board of Directors of the Bank (hereinafter referred to as “the Board” which term shall include any Committee constituted by the Board), consent of the Bank be and is hereby granted to the Board to create, offer, issue and allot by way of a Qualified Institutional Placement under Chapter VIII of ICDR Regulations, such number of Equity Shares of the Bank to Qualified Institutional Buyers as defined under Chapter VIII of ICDR Regulations, whether they be holders of the shares of the Bank or not/Rights Issue under Chapter IV of ICDR Regulations to the existing shareholders/Follow on Public Issue/preferential allotment to GOI/LIC and other Financial Institutions or any other mode approved by GOI/RBI, as may be decided by the Board in their discretion and permitted under the applicable laws and regulations, for an aggregate amount not exceeding ₹3,500 Crore (Rupees Three Thousand Five Hundred Crore only) at such time or times, at such price or prices including premium in such manner and on such terms and conditions as may be deemed appropriate by the Board at its absolute discretion including the discretion to determine the categories of Investors to whom the offer, issue and allotment shall be made to the exclusion of other categories of Investors at the time of such offer, issue and allotment considering the prevailing market conditions and other relevant factors and wherever necessary in consultation with lead manager(s) and/or underwriter(s) and/or other advisor(s) as the Board may in its absolute discretion deem fit or appropriate.”

“RESOLVED FURTHER THAT the Equity Shares issued shall rank *pari passu* with the existing shares of the Bank including dividend.”

“RESOLVED FURTHER THAT in case of a Qualified Institutional Placement pursuant to Chapter VIII of the ICDR Regulations:

- a) the allotment of Securities shall only be to Qualified Institutional Buyers within the meaning of Chapter VIII of the ICDR Regulations, such Securities shall be fully paid-up and the allotment of such Securities shall be completed within 12 months from the date of this resolution.”
- b) the Bank is, pursuant to provision to Regulation 85(1) of ICDR Regulations, authorized to offer shares at a discount of not more than five per cent on the floor price as determined in accordance with the Regulations.
- c) the relevant date for the determination of the floor price of the securities shall be in accordance with the ICDR Regulations.”

“आगे संकल्प किया गया कि, उक्त संकल्प को लागू करने के उद्देश्य हेतु बोर्ड प्राधिकृत है और एतद्वारा प्राधिकृत किया जाता है कि वह ड्राफ्ट को अंतिम रूप प्रदान करने, उसके अनुमोदन से जुड़े सभी काम, कृत्य, विषय और कार्य करे जो इसमें शामिल हैं परंतु यहीं तक सीमित नहीं है, साथ ही, अंतिम ऑफर प्रलेख(खों) जो निर्गम के फार्म और ढंग को नियत करें, इसमें निवेशकों का वह वर्ग शामिल है जिन्हें ईक्विटी शेयर निर्गमित होंगे, आबंटित किए जाएंगे जैसा कि वह वर्ग शामिल है जिन्हें ईक्विटी शेयर निर्गमित होंगे, आबंटित किए जाएंगे जैसा कि वह अपने विवेकाधिकार से उचित समझे, अपने अनन्य विवेकाधिकार से निर्गम मूल्य, निर्गम पर प्रीमियम मूल्य का निर्धारण और शेयर के निर्गम, ऑफर एवं आबंटन से उपजे सवाल, प्रक्रियाओं, कठिनाइयों से संबंधित प्रश्नों का अपने विवेकाधिकार से समाधान करे और इसके लिए सदस्यों की सहमति या अनुमति आवश्यक नहीं होगी, दूसरे शब्दों में; यह माना जाएगा कि संकल्प के प्राधिकार के संबंध में सदस्यों की अनुमति है।”

“आगे संकल्प किया गया कि, निदेशक मंडल प्राधिकृत है और एतद्वारा प्राधिकृत किया जाता है कि वह इस कार्य हेतु लीड प्रबंधकों, विधि सलाहकारों, हामीदारों, बैंकरों, सलाहकारों, जो भी आवश्यक हों, उन्हें शामिल करें/नियुक्त करें, जो ऐसे ईक्विटी शेयरों के ऑफर के कार्य से जुड़े हों, संबद्ध हों और उन्हें कमीशन, ब्रोकरेज, शुल्क आदि के रूप में पारिश्रमिक दें और ऐसी एजेंसियों के साथ करार, ज्ञापन, प्रलेखन आदि की व्यवस्था करें, निष्पादन कराएं और निर्गमित ईक्विटी शेयरों की उन स्टॉक एक्सचेंजों में लिस्टिंग कराएं जहाँ बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं।”

“आगे संकल्प किया गया कि, निदेशक मंडल प्राधिकृत है और एतद्वारा प्राधिकृत किया जाता है कि वह निदेशकों की समिति या अपने सभी अधिकारों या किसी अधिकार को प्रत्यायुक्त करें या निदेशकों की समिति/प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी/कार्यपालक निदेशक/कंपनी सचिव/बोर्ड द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति को सौंपें जो उक्त संविदा को प्रभावी बना सकें और उसे प्राधिकृत किया जाता है कि वह ऐसे कार्यों, कर्तव्यों, विषयों, मामलों को निष्पादित करे और कोई भी जरूरी परिवर्तन(नों) या संशोधन(नों) को करें जिसे उचित समझता है और ऐसा निर्देशन दें जो ईक्विटी शेयरों के निर्गम और आबंटन से उठनेवाले प्रश्नों और कठिनाइयों का समाधान करने की दृष्टि से आवश्यक हैं। साथ ही, ये शामिल हैं पर सीमित नहीं हैं:

- i. ड्राफ्ट/अंतिम ऑफर प्रलेख का अनुमोदन एवं आवश्यकतानुसार उसे किसी अन्य प्राधिकरण या व्यक्तियों को फाइल करना;
- ii. निर्गम मूल्य, आबंटन किए जानेवाले ईक्विटी शेयरों की संख्या, आबंटन का आधार और ईक्विटी शेयर के आबंटन का अनुमोदन;

“RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to the above Resolutions, the Board be and is hereby authorized to do all such acts, deeds, matters and things including but not limited to finalization and approval of the draft as well as final offer document(s) determining the form and manner of the issue, including the class of investors to whom the Equity Shares are to be issued and allotted, number of Equity Shares to be allotted, issue price, premium amount on issue as it may in its absolute discretion deem fit and to settle all questions, difficulties or doubts that may arise in regard to the issue, offer or allotment of shares and utilization of the issue proceeds as it may in its absolute discretion deem fit without being required to seek any further consent or approval of the members or otherwise to the end and intent that the members shall be deemed to have given their approval thereto expressly by the authority of this Resolution.”

“RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorized to engage/appoint Lead Managers, Legal Advisors, Underwriters, Bankers, Advisors as may be necessary and all such agencies as may be involved or concerned in such offering of Equity Shares and to remunerate them by way of commission, brokerage, fees or the like and also to enter into and execute all such arrangements, agreements, memoranda, documents, etc., with such agencies and to seek the listing of Equity Shares issued such on the stock exchanges where the Equity Shares of the Bank are listed.

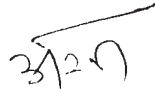
“RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorized to form a Committee of Directors to delegate all or any of its powers to Committee of Directors/Chairman and Managing Director/Executive Directors/Company Secretary/other person authorized by the Board to give effect to the aforesaid Resolution and is authorized to take such steps and to do all such acts, deed, matters and things and accept any alteration(s) or amendment(s) as they may deem fit and proper and give such directions as may be necessary to settle any question or difficulty that may arise in regard to issue and allotment of Equity Shares including but not limited to:

- i. Approving the draft/final offer documents and filing the same with any other authority or persons as may be required;
- ii. Approving the issue price, the number of Equity Shares to be allotted, the basis of allocation and allotments of Equity Shares;

- iii. ईक्विटी शेयर के निर्गम के संबंध में जरूरी सुपुर्दगी और सभी आवश्यक या वांछनीय संविदाओं, करारों और अन्य प्रलेखों, विलेखों और लिखतों का निष्पादन;
- iv. ऐसे बैंक खाते खोलना जो ऑफर के लिए आवश्यक हों;
- v. ऐसे सभी कार्य, कर्तव्य, विषय और मामलों को निष्पादित करना और ऐसे अन्य सभी प्रलेखों का निपटान करना और अपने अनन्य विवेकाधिकार से संव्यवहार के लिए आवश्यक या अपेक्षित शुल्क का भुगतान करना;
- vi. समुचित प्राधिकरणों को प्रस्तुत किए जानेवाले सभी आवश्यक आवेदनों को तैयार करना और इस संबंध में आवश्यक विनियामक फाइलिंग करना;
- vii. उस स्टॉक एक्सचेंज(जों) में बैंक के ईक्विटी शेयरों को सूचीबद्ध करने के लिए आवेदन करना जहाँ पर बैंक के ईक्विटी शेयर सूचीबद्ध किए जाते हैं ।

- iii. Arranging the delivery and execution of all contracts, agreements and all other documents, deeds and instruments as may be required or desirable in connection with the issue of Equity Shares;
- iv. Opening such bank accounts as may be required for the offering;
- v. To do all such acts, deeds, matters and things and execute all such other documents and pay all such fees, as it may, in its absolute discretion, deem necessary or desirable for the purpose of the transaction;
- vi. To make all such necessary applications with the appropriate authorities and make the necessary regulatory filings in this regard;
- vii. Making applications for listing of the Equity Shares of the Bank on the stock exchange(s) where the equity shares of the Bank are listed.

कृते सिंडिकेटबैंक



(अरुण श्रीवास्तव)

स्थान : बेंगलूरु
दिनांक : 30.05.2017

प्रबंध निदेशक एवं
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

For SYNDICATE BANK



(Arun Shrivastava)
Managing Director &
Chief Executive Officer

Place: Bengaluru
Date: 30.05.2017

कार्यसूची का व्याख्यात्मक कथन

निरंतर बदलते हुए कारोबारी परिदृश्य में बढ़ते हुए कारोबारी स्तर के समर्थन के साथ-साथ बासेल-III मानदंडों का अनुपालन करने हेतु बैंक को अतिरिक्त पूंजी की तत्काल आवश्यकता है।

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित बासेल-III पूंजी में दिशानिर्देशों के अनुसार, सी आर ए आर को कम से कम 9% बरकरार रखा जाना है। वर्ष 2016 से आगे बैंकों द्वारा पूंजी संरक्षण बफर (सी सी बी) सहित इस अनुपात को उत्तरोत्तर 11.50% बढ़ाया जाना है। भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशानुसार बैंक द्वारा लिवरेज अनुपात को 4.50% पर बरकरार रखा जाना है। वर्तमान तथा आगामी वर्षों के लिए अनुमानित विभिन्न प्रकार की आस्तियों एवं कारोबार संवृद्धि के समर्थन हेतु जोखिम भार से संबंधित भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों को दृष्टिगत रखते हुए उच्चतर पूंजी खासकर टियर-I पूंजी की आवश्यकता है।

कई उपलब्ध विकल्पों का मूल्यांकन करने के साथ-साथ भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशों से संबंधित पत्रांक डीबीओडी. सं. बीपी. बीसी. 42/21.01.002/2007-08 दिनांक 29.10.2007 में बैंकों को विभिन्न प्रकार के टियर-I और टियर-II साधनों के द्वारा अपनी पूंजी को बढ़ाने के लिए पूंजी बाजार में प्रवेश हेतु अनुमति दी गई है, को ध्यान में रखकर, बैंक ने अर्हताप्राप्त संस्थागत स्थानन (क्यूआईपी), अधिकार निर्गम, अनुगामी सार्वजनिक निर्गम भारतीय जीवन बीमा निगम तथा अन्य संस्थानों को अधिमानी आबंटन या भारत सरकार/ भा.रि.बैं. एवं अन्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा अनुमोदित कोई भी अन्य माध्यम से एक या एक से अधिक भागों में ईक्विटी शेयर जारी करके प्रीमियम सहित ₹3500 करोड़ (तीन हजार पाँच सौ करोड़ रुपये मात्र) तक पूंजी बढ़ाने के लिए पूंजी बाजार में प्रवेश करने की योजना बनाई है और उसके नियम एवं शर्तें वही होंगी जो बैंक के सर्वोत्तम हित में हों। बाजार की मौजूदा स्थिति के अनुसार कूपन दर पर बासेल-III से युक्त अतिरिक्त टियर-I बांडों को ₹1,000.00 करोड़ तक तथा टियर-II बांडों को ₹1,000.00 करोड़ तक बढ़ाने की योजना भी बैंक ने बनाई है।

विभिन्न माध्यमों से ईक्विटी शेयर जारी करने से संबंधित सूचना में विशेष संकल्प प्रस्तावित किया गया जैसा कि भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (पूँजी जारी करने एवं प्रकटीकरण जरूरतें) विनियम, 2009 (“आई सी डी आर विनियम”) के अध्याय VIII के अंतर्गत ₹3,500 करोड़ (तीन हजार पाँच सौ करोड़ रुपये मात्र) तक के अर्हताप्राप्त संस्थागत खरीददार सहित, के लिए दिया गया है।

चूँकि, बैंक के ईक्विटी शेयर को सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियमावली, 2015 के अनुसार स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किया गया है, अतः यह आवश्यक है कि किसी भी आगे की प्रतिभूति के ईश्यू को शेयरधारकों से अनुमोदित करा लिया जाए यदि आनुपातिक आधार पर उन्हें प्रस्तावित न किया गया हो।

यह नोट किया जाए कि शेयरधारकों के अनुमोदन के अतिरिक्त, अर्हताप्राप्त संस्थागत स्थानन (क्यू आई पी) के माध्यम से जारी

Explanatory Statement to the Agenda

To cater to its increasingly growing business level in the continually changing business scenario and to comply with the Basel-III norms, the Bank needs additional capital immediately.

As per RBI prescribed Basel III Capital Guidelines, minimum CRAR is to be maintained at 9%. Banks have to progressively increase this ratio to 11.50% including Capital Conservation Buffer (CCB) from the year 2016 onwards. Bank also needs to maintain Leverage Ratio at 4.50%, as per RBI guidelines. Higher Capital, particularly Tier I Capital is needed in view of the RBI guidelines on risk weights on various categories of assets and business growth projected for the current year and in the coming years.

After evaluating the various available alternatives as well as taking into consideration the Reserve Bank of India's guidelines bearing Reference No.DBOB. No.BP.BC.42/21.01.002/2007-08 dated 29.10.2007 permitting the Banks to access capital market for their raising capital through different types of Tier-I and Tier-II instruments, the Bank has planned to access capital market for raising capital upto the extent of ₹3,500 Crore (Rupees Three Thousand Five Hundred Crore only), including premium, by issuing equity shares by way of Qualified Institutional Placement (QIP), Follow on Public Issue, preferential allotment to GOI/LIC and other Financial Institutions or any other mode approved by GOI/RBI, in one or more tranches and subject to terms and conditions as may be felt to be in the best interest of the Bank. Bank has also planned to raise Basel III Compliant Additional Tier I Bonds upto ₹1,000.00 Crore and Tier II bonds upto ₹1,000.00 Crore at coupon rates as per prevailing market conditions.

The Special Resolution proposed in the Notice relates to the issue of equity shares through various modes including Qualified Institutional Placement under Chapter VIII of the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009 (“ICDR Regulations”) to Qualified Institutional Buyers for an amount not exceeding ₹3,500 Crore (Rupees Three Thousand Five Hundred Crore only).

As the equity shares of the Bank is listed with the Stock Exchanges pursuant to SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, it is necessary for the shareholders to approve issue of any further security if not offered to them on a proportionate basis.

It may be noted that apart from the approval of the shareholders, the issue of equity shares by way of

ईक्विटी शेयर सांविधिक, विनियामक या इस संबंध में लागू अन्य निर्देशों के अनुपालन के अधीन होंगे ।

ईक्विटी शेयर को जारी करने के विस्तृत नियम एवं शर्तें वर्तमान बाजार की स्थिति पर विचार करते हुए व्यापारी बैंकों, अग्रणी प्रबंधकों, सलाहकारों और ऐसे अन्य प्राधिकारियों जो बैंक द्वारा विचारणीय हों, के साथ विचार-विमर्श करके बोर्ड द्वारा निर्धारित की जाएंगी । ईक्विटी शेयर एक से अधिक भाग में, उपयुक्त समय या समयों पर, उपयुक्त मूल्य या मूल्यों पर और उपयुक्त निवेशकर्ता को जारी करने हेतु बोर्ड के विवेकानुसार से जो उपयुक्त हो, ऐसा करने हेतु बोर्ड को अधिकार देने के लिए विशेष संकल्प लिया जाए ।

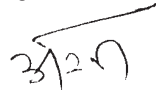
नोटिस में वर्णित विशेष संकल्प के लिए आपके अनुमोदन को निदेशक मंडल संस्तुत करते हैं ।

विशेष संकल्प में बैंक के किसी भी निदेशक की संबद्धता या रुचि नहीं है ।

प्रस्तावित संकल्प तथा व्याख्यात्मक कथन को 18वीं वार्षिक आम बैठक आयोजित करने संबंधी सूचना का अभिन्न अंग माना जाना है।

इस परिशिष्ट की प्रति बैंक की वेबसाइट, स्टॉक एक्सचेंज, ई-मतदान एजेंसी की पोर्टल पर उपलब्ध कराई जा रही है। यह सूचना (नोटिस) बैंक के उन शेयरधारकों को ई-मेल से भेजी जा रही है जिनकी ई-मेल आई डी बैंक में पंजीकृत हैं। अन्य शेयरधारकों के लाभार्थ इस पूर्ण सूचना (नोटिस) को समाचार पत्रों में भी प्रकाशित कराया जा रहा है।

निदेशक मंडल के आदेशानुसार
कृते सिंडिकेट बैंक



(अरुण श्रीवास्तव)

स्थान : बेंगलूरु

दिनांक : 30.05.2017

प्रबंध निदेशक एवं

मुख्य कार्यकारी अधिकारी

Qualified Institutional Placement (QIP), etc., would be subject to compliance of all statutory, regulatory or any other applicable guidelines in this regard.

The detailed terms and conditions for the issuance of the Equity Shares as and when made will be determined by the Board in consultation with the Merchant Bankers, Lead Managers, Advisors and such other authorities as may require to be considered by the Bank considering the prevailing market conditions and other relevant factors. The Special Resolution seeks to give the Board powers to issue Equity Shares in one or more tranches at such time or times, at such price or prices, and to such of the Investors as are mentioned therein as the Board in its absolute discretion deems fit.

The Board of Directors recommends for your approval the Special Resolution mentioned in the Notice.

None of the Directors of the Bank are concerned or interested in the Special Resolution.

The Proposed Resolution and the Explanatory Statement is to be treated as an integral part of the Notice Convening the 18th Annual General Meeting.

The copy of this addendum is being hosted on the website of the Bank, Stock Exchanges, portal of E-voting agency. The Notice is also being mailed to shareholders whose email id is registered with the Bank. This notice in entirety is also being published in Newspapers for the benefit of other Shareholders.

**By order of the Board of Directors
For SYNDICATE BANK**



(Arun Shrivastava)
Managing Director &
Chief Executive Officer

Place: Bengaluru
Date: 30.05.2017

